

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू-अर्जन निदेशालय)

संख्या: 2324/रा०

पटना, दिनांक:- 18-01-13

अधिघोषणा

चूंकि बिहार सरकार को यह प्रतीत होता है कि मौजा-कुनौली थाना सं०-01, परगाणा- नारेदेगर, थाना- निर्मली, जिला- सुपौल में सार्वजनिक परियोजनार्थ अर्थात् एस0एस0बी0 35 बी बटालियन राजनगर के बोर्डर ऑउट पोस्ट की स्थापना के लिए भारत सरकार के अधीन गृह मंत्रालय के खर्च पर सरकार द्वारा भूमि का अधिग्रहण अपेक्षित है। इसलिए इसके द्वारा अधिघोषित किया जाता है कि उपर्युक्त योजना के लिए उपर्युक्त ग्राम- कुनौली थाना- न० 01 के भीतर भूमि का एक टुकड़ा अपेक्षित है, जो मानचित्र सं० से कमोवेश 3.00 (तीन एकड़) मात्र है, जिसका पूर्ण/अंश खेसरा निम्न प्रकार है:-

पूर्ण खेसरा संख्या:- 1579, 1597, 1598, 1602 एवं 1603

अंश खेसरा संख्या:- 1580, 1594, 1596, 1599, 1604 एवं 1605

चौकड़ी:-

उत्तर:- मौजा- कुनौली थाना नं०-1 का खेसरा सं०-1580 एवं 1583

दक्षिण:- मौजा- कुनौली थाना नं०-1 का खेसरा संख्या:- 1599, 1601 एवं 1605

पूरुब:- मौजा- कुनौली थाना नं०-01 का खेसरा सं०- 1594, 1596, 1604 एवं 1605

पश्चिम:- मौजा- कुनौली थाना नं०-01 का गैरमजरूआ आम रास्ता

भूमि या भूमि के किसी खास भाग के नीचे पड़ने वाली कोयला, लोहा, पत्थर, ग्रेट या अन्य खनिजों की खानों की आवश्यकता नहीं है, किन्तु खानों और खनिजों के अन्वेषण के भाग, जिस कार्य के लिए भूमि अर्जित की जा रही है उसके निर्माण के लिए खेसरा, डटना या उपयोग में लाना आवश्यक हो ले, लिए जायेंगे। यह घोषणा अधिनियम 1, 189 की धारा 6 और अधिनियम 18, 1885 की धारा 3 के खंड (1) यथा संशोधित अधिनियम की धारा 4 सन् 1961 एवं सन् 1984 के उपबंधों के अधीन उन सभी व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है, जिसका इससे संबंध हो। भूमि का मानचित्र जिला भू-अर्जन पता धेवारी, सुपौल के कार्यालय में देखा जा सकेगा।

समाहर्ता,
सुपौल।

आयुक्त,
कोशी प्रमंडल, सहरसा

बिहार राज्यपाल के आदेश से

३०

सरकार के अवर सचिव,
राजस्व एवं भूमि सुधार, विभाग
बिहार, पटना।

ज्ञापक:- 2324/र०

दिनांक:- 18-09-13

प्रति-
प्रति-
प्रति-
प्रति-

- तम आन्तरिक प्रतियों सीडी के साथ निदेशक, सूचना एवं जन संपर्क विभाग, बिहार, पटना को दैनिक समाचार पत्रों- जिसमें एक स्थानीय भाषा में हो, प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशित संस्करण के लिए जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, सुपौल को भेजने हेतु प्रेषित।
- प्रथम जिला गजट पदाधिकारी, सामान्य शाखा, सुपौल को जिला गजट के अगले अंक में प्रकाशित करने और इसकी पॉच-पॉच प्रतियों इस विभाग को एवं जिला भू-अर्जन कार्यालय, सुपौल को यथा शीघ्र भेजने हेतु प्रेषित।
- सहायता, सुपौल, जिला भू-अर्जन पदाधिकारी सुपौल एवं समादेष्टा, एस0एस0बी0 35 वीं बंगला, राजनगर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग,
बिहार, पटना।